DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email-Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-2Paper-4-Date-28-07-2020
Mo.No--9234999361.

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन करें।

लार्ड-ब्राइस ने अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के विषय में कहा है,"संयुक्त राज्य सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की,इतना अधिक चर्चा पैदा नहीं किया, इतनी अधिक प्रशंसा प्राप्त नहीं की और इतनी अधिक गलतफहमी पैदा नहीं की जितनी की सुप्रीम कोर्ट के महत्व को स्पष्ट करते हुए चीफ जस्टिस हूजब ने लिखा है-"हमारा एक संविधान है, किन्तु संविधान वह है जिसे न्यायाधीश कहते हैं कि वह यह है।"इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लर्किन ने कहा है-यह महान टिब्यूनल प्रशासकीय मशीन में घड़ी का संतुलन चक्र है वह अपने न्यायिक संतुलन को स्थिर रखा है, जबकि सरकार के अन्य विभाग लोकमत के केवल उत्साह की तीव्रता से प्रभावित हो जाता हैं।इसका कर्तव्य सब समय तथा सब परिस्थितियों में संविधान के सर्वोच्च कानून के नाते स्थिर रखना और इस शक्ति का प्रयोग समस्त जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है।एक अन्य विचारक ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि,"अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट अनेक प्रकार से सर्वाधिक शक्तिशाली खण्ड बन गया है और संसार का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है।"

डॉ०टॉंकबिले ने लिखा है-"यदि मुझसे पूछा जाय कि मैं अमेरिकन शासन यंत्र को कहाँ स्थान देता हूँ तो मैं बिना झिझक के साथ उत्तर दूँगा कि इसका स्थान न्यायिक बेंच और बार है।कठिनाई से ही संयुक्त राज्य में कई ऐसा राजनीतिक विवादास्पद प्रश्न उठाता होगा जो अन्त में न्यायिक प्रश्न न बन जाता है।"

प्रत्येक संधात्मक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि संध एक समझौता होता है और समझौते में झगड़ों और गलतफहमी की काफी गुंजाइश होती है अतः इन संघर्षों को सुलझाने के लिए किसी निष्पक्ष पार्टी का होना परमावश्यक है,जो उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त कोई भी नहीं हो सकता। संधीय व्यवस्था में निम्नलिखित कारणों की वजह से उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता होती है---

1.संध में दो सरकारें होती हैं जिनके अधिकार सार्वभौम होते है तथा वे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं अतः शक्तियों का विभाजन को लेकर संघर्ष होना स्वाभाविक है।

2.काँग्रेस को मनमानी करने से रोकने के लिए और संविधान द्वारा सम्पन्न शक्तियों का विभाजन तक सीमित रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के कार्य---

सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के विषय में संविधान में लिखा है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति के आधार क्षेत्र में विधि और साम्य के आधार पर सभी संवैधानिक मानते आयेंगे।इसमे निम्नलिखित विषय शामिल है।संयुक्त राज्य द्वारा की जाने वाली संधियाँ, राजदूतों, मंत्रियों और वाणिज्य दूतों से संबंधित विषय, जल सेना तथा जलपोतों से संबंधित विषय दो या अन्य राज्यों के पारस्परिक झगड़े एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के नागरिक के बीच झगड़े एक राज्य और उसके नागरिकों तथा दूसरे और उसके नागरिकों तथा दूसरे नागरिकों के बीच उठ खड़े हुए झगड़े सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार राजदूतों मंत्रियों और वाणिज्य दूतों के उन मामलों में होगा जिसमें कोई राज्य एक पक्ष हो।अन्य पूर्व निर्देशित मामलों में सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्राधिकार, कानून तथा तथ्य, दोनों के सम्बन्ध में कुछ अपवादों के साथ जिनको काँग्रेस निश्चित करेगी।सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है।

1. मौलिक कार्य---दोनों के मध्य तथा राज्यों के बीच होने वाले तथा एक ओर केन्द्र तथा राज्य और दूसरी ओर अन्य राज्यों के मध्य होने वाले संधर्षो का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है।

2.अपील सम्बन्धी अधिकार----इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के पास राज्यों की हाई कोर्ट की अपील भी की जाती है।वह अपील फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों की होती हैं।

3.संविधान की व्याख्या-----संविधान के नियमों की व्याख्या करके उनका सही अर्थ स्पष्ट करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है और संवैधानिक समस्याओं पर उसी के निर्णय अन्तिम होते है।लॉस्की के शब्दों में--"अमेरिका का इतिहास अपूर्ण रह जाता है यदि हम वहाँ की न्यायपालिका पर सावधानी से विचार न करें।"न्यायपालिका के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए जैफरसन ने कहा है--"संधात्मक न्यायपालिका ऐसे इंजीनियरों तथा मजदूरों का समूह है जो निरंतर पृथ्वी के अंदर कार्य करके संविधान की इमारत को गिरा रहे हैं।"

4.न्यायिक दृष्टिकोण----कानून के विषय में अपनी राय देकर संविधान के विरुद्ध बने कानून को अवैधानिक धोषित करना उच्चतम न्यायालय का एक अधिकार है।

5.राष्ट्रपति को परामर्श----राष्ट्रपति को कानून के विषय में परामर्श देना भी सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार होता है और वह राष्ट्रपति को समय समय पर वैधानिक मामलों पर परामर्श देता है।

6.मौलिक अधिकार की सुरक्षा----नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्रियात्मक पग उठाना भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं।

7.संविधान का विकास करना-----अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्या करने की शक्ति के द्वारा संविधान के विकास को संभव बनाता है और परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप उसके परिवर्तन को संभव बनाता है।रास्काल पाउण्ड के शब्दों में--"अमेरिका के कानून यहाँ के काँग्रेस द्वारा निर्मित नहीं होते।काँग्रेस का वहीं नियम अधिनियम बन सकता है, जिसकी स्वीकृति न्यायपालिका द्वारा मिल जाता है।

सर्वोच्च न्यायपालिका की व्याख्याओं के मापदंडों में जो निरंतर परिवर्तन परिस्थितियों के अनुरूप होता रहता है।

संक्षेप में निष्कर्षतः यह भली भांति स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अद्वितीय शक्ति प्रदान कर ली है और देश के संविधान का उसे चौथा पहिया कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।अतः*Munro* की उक्ति सही प्रतीत होती है कि,"न्यायपालिका ही सम्पूर्ण व्यवस्था का संतुलन चक्र है।"

आगे, धन्यवाद।

2020-07-28
From vivo Noi

Scanned with CamScanner